

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

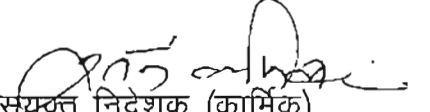
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री मोहम्मद फारुक से.नि. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला, जिला बीकानेर में कार्यरत थे, जिनकी जन्मतिथि 25.04.1958 है एवं जो दिनांक 30.04.2018 को अधिवार्षिकी आयुपरान्त राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री मोहम्मद फारुक से.नि. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला, जिला बीकानेर, के विरुद्ध आज तक:-

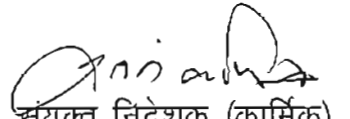
1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा संतोष/2018 दिनांक : 05.11.2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (सूचना), बीकानेर
4. कोषाधिकारी, बीकानेर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला, जिला बीकानेर.
6. श्री मोहम्मद फारुक से.नि. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला, जिला बीकानेर.
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर